

अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए : भजनलाल शर्मा

‘राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों का गहनता से कर रही विश्लेषण’

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारत और पाकिस्तान के मध्य उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर लगातार उच्चस्तरीय बैठक लेकर हालात पर पूरी नजर बनाते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सीमावर्ती राज्य होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। हमारी एक हजार किलोमीटर से अधिक की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों का गहनता से विश्लेषण कर प्रवेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खाद्यान्न, दवाइयों सहित अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरएसी, होमगार्ड और एसडीआरएफ की अतिरिक्त यूनिट्स भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही इन जिलों में प्रभारी सचिवों को भेजा गया है। वे स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर रहे हैं।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उनके कार्यालय में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित गृह विभाग के आला अफसर मौजूद थे।

शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, केन्द्रीय एजेंसियों और सेना के साथ पर्याप्त समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा शौर्ष कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं वॉलंटियर्स का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की

कालाबाजारी रोकने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतर्कता ही सुरक्षा है। इसलिए सामरिक महत्व की इमारतों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ाई जाए। पर्यटन स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी सख्त निगरानी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जाए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखते हुए उनसे कड़ी पूछताछ करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमावर्ती जिलों में सड़क तथा रेलमार्ग पर मूवमेंट नियंत्रित करने तथा आवश्यकतानुसार ब्लैकआउट को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से आमजन को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया जाए ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने

- ‘अधिकारी केन्द्र सरकार और सेना के साथ समन्वय बनाकर करें आवश्यक कार्यवाही’
- ‘निजी ड्रोन-आतिशबाजी पर प्रतिबंध की पूर्ण पालना हो’

कहा कि आमजन को प्रशासनिक निर्देशों और केन्द्र एवं राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालना के लिए प्रेरित किया जाए। छोटी से छोटी घटनाओं पर नजर रखते हुए अफवाहों को फैलने से रोका जाए। शर्मा ने अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों में निजी ड्रोन की उड़ान पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध की पालना सुनिश्चित कराए। उन्होंने शादी समारोह दिन में करने के लिए एडवाइजरी जारी करने तथा भीड़-भाड़ वाले अन्य आयोजनों एवं आतिशबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।

रीट-2021 पेपर लीक मामले को पुनः खोला हाईकोर्ट ने

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ए.बी.वी.पी.) द्वारा दायर आवेदन पर रीट परीक्षा-2021 (लेवल-1) रद्द कर पेपर लीक की सी.बी.आई. से जांच करने के लिये दायर की गई जनहित याचिका को पुनः खोल कर सुनवाई के लिये आदेश पारित किये। दरअसल इस मामले में ए.बी.वी.पी. ने वर्ष 2022 में जनहित याचिका दायर की थी और अदालत ने 24 फरवरी 2022 को आदेश पारित किये थे कि उसकी देखरेख में एस.आई.टी. इस मामले की जांच करेगी। परंतु इस मामले में पैरवी कर रहे वकील आयुष मल 4 जून 2024 को “हिण्टी गर्वमेंट काउंसिल” नियुक्त कर दिये गये थे, जिसकी वजह से वह राज्य सरकार के किसी भी विभाग के खिलाफ जांच के पक्ष में अदालत के समक्ष पैरवी नहीं कर सकते थे। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने गत 27 मार्च को ए.बी.वी.पी. के वकील की अनुपस्थिति को दर्ज करते हुए मामले को खारिज कर दिया था।

अधिवक्ता भवानी एस.सैनी ने इस मामले को पुनः खुलवाने के लिये ए.बी.वी.पी.की ओर से आवेदन दायर किया है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर ने मामले को पुनः खोल दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में अदालत ने आदेश पारित किये

- ए.बी.वी.पी.द्वारा मामले को पुनः खोले जाने के आवेदन को इसलिये स्वीकार किया अदालत ने कि कई जरूरी तथ्य अदालत के समक्ष पेश नहीं किये गये थे

- ए.बी.वी.पी. के वकील भवानी सैनी ने अदानत को बताया कि 20 जुलाई 2024 को ई.डी.द्वारा जारी प्रेस रिलीज और सभी ठोस तथ्य अदालत के समक्ष कभी पेश नहीं किये गये। सैनी ने कहा कि इन तथ्यों के अभाव में ही 27 मार्च 2025 को मामले को खारिज करने का फैसला किया था।

- अदालत ने इस मामले को इस कारण खारिज किया था क्योंकि याचिकाकर्ता ए.बी.वी.पी.के वकील को राज्य सरकार का वकील घोषित कर दिया गया था और वह सरकार के खिलाफ जांच के मामले में पैरवी नहीं कर सकते थे

थे कि गहलोत सरकार का यह फैसला कि परीक्षा रद्द नहीं की जायेगी, को अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है, इस फैसले को अदालत एस.ओ.जी की जांच पर निर्भर रखेगी। अधिवक्ता सैनी ने अदालत को कहा है कि गहलोत सरकार के जाने के बाद 16 दिसम्बर 2023 को राज्य सरकार ने आदेश पारित कर एस.आई.टी. का गठन किया था जो पिछली सरकार में आयोगित परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच करेगी, यानी रीट परीक्षा, 2021 की जांच भी एस.ओ.जी. को सौंपी गई थी।

उन्होंने अदालत को बताया कि पिछली गहलोत सरकार ने ई.डी. द्वारा

भी रीट परीक्षा,2021 के पेपर लीक के संदर्भ में 32 जगह छापे मारे गये थे और ई.डी. ने अपनी प्रेस रिलीज में जानकारी दी थी कि इन छापों में उन्हें कई तरह के दस्तावेज और डिजीटल रिकॉर्ड के साथ-साथ बहुत सारा नकदी भी मिली थी, जो रीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी राजू राम ईरम को अपराधी घोषित करने में ठोस तथ्य के रूप में पेश किये जा सकते थे। उन्होंने अदालत को बताया कि 20 जुलाई 2024 को ई.डी.द्वारा जारी प्रेस रिलीज और सभी ठोस तथ्य अदालत के समक्ष कभी पेश नहीं किये गये। सैनी ने कहा कि इन तथ्यों के अभाव में ही 27 मार्च 2025 को मामले को खारिज करने का फैसला किया था।

विप्र फाउंडेशन ने किया भारत की जीत के लिए राष्ट्र जय यज्ञ

जयपुर। विप्र फाउंडेशन ने युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की सुनिश्चित जीत के लिए सिंदूरी संकल्प ले भगवान श्रीपरशुरामजी के साधना मंत्रों एवं नाम जप कर राष्ट्र जय यज्ञ अनुष्ठान किया। यह देशव्यापी अनुष्ठान तीन दिन तक चलेगा जिसमें 11लाख साधना मंत्र और 11 करोड़ नाम जप किए जाएंगे। जयपुर में यह अनुष्ठान मानसरोवर स्थित श्रीपरशुराम ज्ञानपीठ भवन में पंडित धीरज भारद्वाज के आचार्यत्व में हुआ जिसमें वैदिक विद्वानों के साथ सनातन धर्मावलंबी,विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने बताया कि पहले दिन प्रदोष काल में सामूहिक रूप से साधना मंत्र एवं नाम जप किए गए, जबकि आगामी दो दिन लोग अपने घरों पर रह सामर्थ्य और संकल्प के अनुसार मंत्र और नाम जप कर सकेंगे। ओझा ने सभी सनातन धर्मावलंबियों से राष्ट्र जय यज्ञ में आहुति का आग्रह किया है। जयपुर में हुए अनुष्ठान में राजेश कर्नल, रंजित हर्ष, सुनीता शर्मा, सतीश शर्मा, नवीन शर्मा, प्यारे लाल शर्मा, मुकेश काका, भाजपा मंडल अध्यक्ष कालूराम शर्मा,मनोज पांडेय, सुशील पीर नगर, मदन शर्मा पार्षद, दीपक बानसूर ,रामजीलाल शर्मा, महेश शर्मा, ओमजी सेवदा, मधुकर पारीक, राजू कटारा,, अंशुमान शास्त्री, धर्मेष्ट शर्मा, पुष्पेंद्र, कमल शर्मा, रंजीता गोस्वामी, सीरध जैमन, गिरांज शर्मा, मोहन शर्मा, वंदना त्रिवेदी, गायत्री जोशीआदि उपस्थित थे।

संभाग और जिला स्तर पर भी होने चाहिए मसाला मेले जैसे आयोजन : दक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला की चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। इस तरह के मेलों का आयोजन संभाग और जिला स्तर पर भी होना चाहिए। ऐसे आयोजनों से सहकारी संस्थाओं द्वारा तैयार उत्पादों

- जवाहर कला केन्द्र में 18 मई तक मेला आयोजित होगा
- मेले में 120 स्टॉल्स पर उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण मसाले और अन्य उत्पाद

को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि हम सब सहकारिता के ध्येय वाक्य 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' को आत्मसात कर सहकारी सेक्टर को मजबूत करें ताकि देश के हर नागरिक को इसका लाभ मिले।

सहकारिता मंत्री ने शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र के दक्षिण परिसर में प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का दीप प्रज्ज्वलन कर तथा फीता काटकर शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की स्वदेशी की भावना को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी हैं। इससे पूर्व सहकारिता मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव ने मेले में लगी स्टॉल्स का

जयपुर मेट्रो स्टेशन-ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी

छह घंटे तक चला तलाशी अभियान

जयपुर। जयपुर मेट्रो स्टेशन और ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कम्प मच गया। सूचना के बाद मेट्रो थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस ने सभी स्टेशनों और ट्रेन को सघन तलाशी ली। तलाशी में कुछ भी नहीं मिलने पर पुलिस और सुरक्षा दलों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने करीब 6 घंटे तक सभी स्टेशन और ट्रेन की तलाश ली। जयपुर में मेट्रो के मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक 11 स्टेशन हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम जयपुर मेट्रो की ऑफिशियल मेल आईडी पर ईमेल आया। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जयपुर मेट्रो स्टेशन और ट्रेन दोनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल पर मिली इस धमकी के बाद जयपुर मेट्रो और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया।

डीसीपी मेट्रो सुशील कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद एक धमकी भरा ईमेल मिला था। इसमें मेट्रो स्टेशनों को बम से उड़ने की धमकी

- बड़ी चौपड़ से मानसरोवर स्टेशन तक पुलिस ने ली सघन तलाशी, कुछ नहीं मिलने पर पुलिस ने ली राहत की सांस

दी गई थी। इसके बाद से ही हमने एहतियातन रूप से सुरक्षा बढ़ा दी है। जयपुर के मेट्रो स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि इस दौरान मेट्रो के संचालक पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है। फिलहाल मेट्रो

कुछ भी नहीं मिला।

एक दिन पहले मिली थी एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी

इससे पहले 8 मई को एसएमएस स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन ने बताया था- सुबह 9:13 पर ईमेल आया था। कर्मचारियों ने ईमेल को ओपन करके देखा तो उसमें स्टेडियम को बम से उड़ने की धमकी दी गई थी। मेल में लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। एसएमएस स्टेडियम के बाहर का इलाके और बिल्डिंग को सर्च किया गया था। सर्च के दौरान कुछ भी नहीं मिला था।

गौरतलब है कि इससे पहले 3 अप्रैल को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी की गई थी। यहां करीब 200 कमरों की जांच के लिए बम स्कॉड और इमरजेंसी रिसर्प्स टीम को भी बुलाया गया था। करीब 2 घंटे के सर्च के दौरान किसी भी एजेंसी को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।



सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र के दक्षिण परिसर में प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का दीप प्रज्ज्वलन कर तथा फीता काटकर शुभारम्भ किया।

अवलोकन कर देश-प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा विक्रय के लिए लाए गए मसालों एवं अन्य उत्पादों की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष मसाला मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण मसालों के साथ ही अन्य उत्पाद उचित दाम पर एक ही

छत के नीचे उपलब्ध होते हैं, जिससे यह जयपुरवासियों की ख़ास परंपद बन चुका है। मसाला मेले के आयोजन से आमजन का सहकारी उत्पादों पर विश्वास भी बढ़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की थीम पर 18 मई तक यह मेला आयोजित किया जा रहा है।

मेले में राजस्थान के साथ ही केरल, तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश,

कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की सहकारी समितियों के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। साबुत और पीसे हुए मसालों के साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पाद राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में बिक्री के लिए उपलब्ध कराये गए हैं। मेले में आगन्तुक ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लक्की ड्राँ एवं समापन पर मेगा बम्पर ड्राँ की व्यवस्था भी की गई है।

सुगम परिवहन के लिए सेना को मिले पूर्ण लॉजिस्टिक सहयोग : प्रेमचन्द बैरवा



उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय जयपुर में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचन्द बैरवा ने प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए परिवहन विभाग को सुगम सैन्य परिवहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य परिवहन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। इसके मद्देनजर सेना को परिवहन में सुगमता प्रदान करने के लिए सभी प्रयास तत्परता से किए जाएं।

उपमुख्यमंत्री ने शुक्रवार को शासन सचिवालय जयपुर में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा

प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के लिए लगातार सुरक्षा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए रोडब्लैक बरसों को रिजर्व रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। बैरवा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि भारतीय सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध कराए जाएं ताकि उन्हें आवगमन में किसी प्रकार की बाधा न हो। इस संबंध में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन को भी आवश्यक लॉजिस्टिक सहयोग के लिए निर्देशित किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना

एवं अर्द्ध सैनिक बलों को मूवमेंट के लिए बिना किसी रुकावट के मार्ग उपलब्ध हो। बैठक में सड़क सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबंधन में आवश्यक सहयोग के निर्देश प्रदान किये गए। जिससे आपात स्थिति में यातायात सुगम और सुचारु रूप से हो सके। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रोडब्लैक द्वारा जिला प्रशासन एवं अर्द्ध सैनिक बलों को आवश्यक सुविधाएं जैसे वाहन, ड्राइवर, रूट प्लानिंग आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति को प्राथमिकता पर लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के भी उन्होंने निर्देश दिये।